न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 131 / 2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 / 48 आरटीए

अख्तर हुसैन पुत्र शाह सवार जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

— वादी

बनाम्

1. शाह सवार पुत्र स्व. अमीन खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
2. अदरीश पुत्र स्व. यासीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
3. मुनीर खान पुत्र शाह सवार जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
4. शनाजा बीबी पुत्री शाह सवार जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महावीर बेरड़—वकील वादी
2. श्री कुलदीप मूण्ड —वकील प्रति.सं. 1 ता 4

निर्णय दिनांक :— 20.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह संशोधित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 / 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं.144 / 111 जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 में 0.371 / 1177 हिस्सा अर्थात् 0.371 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 125 / 110 जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 में 1735 / 6072 हिस्सा अर्थात् 0.8675 है. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 76 / 64 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 2 / 23 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं.144 / 111 जमाबन्दी सम्वंत् 2075—78 में 0.371 / 1177 हिस्सा अर्थात् 0.371 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 125 / 110 जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 में 1735 / 6072 हिस्सा अर्थात् 0.8675 है. कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 76 / 64 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 2 / 23 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने आपस में अपनी स्वतंत्र ईच्छा, सहमति एवं बिना किसी दबाव एवं बिना किसी नषा—पता के तथा काश्त की सुविधा एवं कृषि भूमि के एकीकरण के लिये बंटवारा एवं तबादला कर लिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को बंटवारा एवं तबादला में प्राप्त कृषि भूमि वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(क) वादी अख्तर हुसैन पुत्र शाह सवार जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) को बंटवारा एवं तबादला में प्राप्त कृषि भूमि का विवरणः– तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 76/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.506 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 2 अदरीश पुत्र स्व. यासीन खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) को बंटवारा एवं तबादला में प्राप्त कृषि भूमि का विवरणः–तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 144/111 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 0.371 है. कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के. डब्ल्यु. के खाता सं. 125/110 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 0.325 है. कृषि भूमि

वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ने आपस में अपनी–अपनी कृषि भूमि का बिना किसी प्रतिफल के बंटवारा एवं तबादला कर लिया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ने बंटवारा एवं तबादलानुसार आपस में क़ब्जे का आदान–प्रदान भी कर लिया है। बटवारा एवं तबादलानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन बंटवारा एवं तबादला अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे वादी बंटवारा एवं तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन बंटवारा एवं तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे वादी बंटवारा एवं तबादलानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 कुछ दिन तक तो टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से उक्त कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण, प्रतिवादी सं. 3 व 4 को विरासतन अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 76/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2/23 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 144/111 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 0.371/1177 हिस्सा अर्थात् 0.371 है.

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार इसी चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 125/110 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 1735/6072 हिस्सा अर्थात् 0.8675 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.325 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा मय आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी अख्तर हुसैन का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये :–

1. चक 7 एमएमके खाता संख्या 76/64 ज.स. 2070–73 प्रदर्श–1
2. चक 1 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 144/111 ज.स. 2075–78 प्रदर्श–2
3. चक 1 केकेडब्ल्यु खाता संख्या 125/110 ज.स. 2075–78 प्रदर्श–3

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अभिभाषक ने बहस में वाद पत्र डिक्री करने पर अपनी सहमति दी।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी जमीनों को इकठा करने के उद्श्य से तबादलानामा किया जाना प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 49 में यह प्रावधान है कि कोई खातेदार अभिधारी किसी ऐसे क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो किसी अन्य खातेदार अभिधारी से जोड़ी जाने वाली भूमि का विनिमय कर सकेगा। प्रकरण हाजा में तबादला के अधीन आराजी की किस्म एक सम्मान नहरी है विनिमय होने वाली आराजी की डीएलसी दर भिन्न होने की स्थिति में यदि कोई अन्तर राशि वसूली योग्य है तो पक्षकारान उसका भुगतान करेगें। वाद पत्र को कोई विरोध हमारे सामने नही आने से वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :— प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 76/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 2/23 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 144/111 जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 में 0.371/1177 हिस्सा अर्थात् 0.371 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार इसी चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 125/110 जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 में 1735/6072 हिस्सा अर्थात् 0.8675 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.325 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः उक्तानुसार पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.4.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी ... जिला हनुमानगढ़

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–13 / 2026

अख्तर हुसैन पुत्र शाह सवार जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

– वादी

बनाम्

1. शाह सवार पुत्र स्व. अमीन खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
2. अदरीश पुत्र स्व. यासीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
3. मुनीर खान पुत्र शाह सवार जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
4. शनाजा बीबी पुत्री शाह सवार जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः– प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 76 / 64 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 2 / 23 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार क़ाश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 144 / 111 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 0.371 / 1177 हिस्सा अर्थात् 0.371 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार इसी चक 1 के.के.डब्ल्यु. के खाता सं. 125 / 110 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 1735 / 6072 हिस्सा अर्थात् 0.8675 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.325 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..x..निल..x..मुब्लिक..x..निल..x..बाबत्..x..निल..x..खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..x..अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.4.2026 को जारी किया गया।

(जय. कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया